रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड IV

PART II—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 1980/अग्रहायण 27, 1902

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 1980/Agrahayana 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1980

का. नि. आ. 18-ई :—सशस्त्र सेना (आपात कर्तव्य) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार : (क) असम राज्य में विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत गठित राज्य विद्युत बोर्ड की सेवाओं सहित जल और विद्युत के उत्पादन, सम्भरण और वितरण से सम्बन्धित सभी सेवाओं, और (ख) बेतार तथा टेलीफोन सेवाओं को समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवाएं घोषित करती है ।

[फा. सं. 2(112)/80/रक्षा (जी एस-1)]

के. ए. नम्बियार, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 1980

S.R.O. 13-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares : (a) all services in connection with the production, supply and distribution of water and electricity including the services under the State Electricity Board constituted under the Electricity Supply Act, 1948 and (b) any Telegraph and Telephone services in the State of Assam to be services of vital importance to the community.

[F. No. 2(112)/80/D(GS.I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy. (G)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980